

10/11/24

NO. 10/11/24
4

10.1.2024

माजमद पत्रावली मूल दावा की पत्रावली के साथ
पेमा में ली गई। अर्थात् पत्र से संबंधित मूल
दावा वकील वादी के विवेक पर खारिज हो चुका
है। इससे यह अर्थात् पत्र अब भागे चलें
श्रेष्ठ नहीं है। अतः इसी का पर खारिज किया
जाता है।

पत्रावली निजी में शुद्ध की जाकर
नम्बर से कम हो तथा तर्तीव तकमिला होकर
इसी मूल दावा के संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)